न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–271/2025 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. लादूलाल पुत्र पेमा जाति अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
2. भंवरीदेवी पुत्री पेमा जाति अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. भूरीदेवी पुत्री पेमा जाति अहीर आयु वयस्क निवासी समोडी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
4. सोसर पत्नि नानू जाति अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू पुत्र होक्मा अहीर मृतक के वारीसान :–
   1/1 रामलाल पुत्र स्व० कालु जाति अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
   1/2 उदीबाई पत्नि स्व० कालु जाति अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
2. उदयराम पुत्र नानजी जाति अहीर आयु वयस्क निवासी समोडी, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राज०)
3. नारायण पुत्र नानजी जाति अहीर आयु वयस्क निवासी समोड़ी, तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. जमनी पुत्री नानजी जाति अहीर आयु वयस्क निवासी समोडी तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)
6. उप–पंजीयक, भीलवाड़ा प्रथम व द्वितीय (राज०)

– विपक्षीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 रा० टि० एक्ट बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि० एक्ट

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1.श्री श्रवण सेन :– प्रार्थी

निर्णय दिनांक 25/07/25

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवण सेन द्वारा दिनांक 12.05.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 271/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की वास्ते तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये तथा एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.05.2025 को जारी की गई। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

25/07/25

सहायक कलक्टर
भीलवाडा

उक्त अनवान का वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है जो काफी ठोस तथ्यों पर आधारित होकर अवश्य ही डिक्री होगा।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवादग्रस्त, शामलाती अविभाजित कृषि आराजियात वाके ग्राम समोड़ी प०ह० दरीबा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

(क) खाता संख्या 36

आराजी नम्बर	रकबा
1020/1	0.3794 हैक्टेयर
कुल किता 01	कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर

(ख) खाता संख्या 38

आराजी नम्बर	रकबा
547	0.0126 हैक्टेयर
कुल किता 01	कुल रकबा 0.0126 हेक्टेयर

प्रार्थना पत्र चरण संख्या 02 के पैरा "क" खाता संख्या 36 में वर्णित आराजी नम्बर 1020/1 रकबा 0.3794 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 प्रत्येक का 1/24–1/24 वां हिस्सा, प्रार्थी संख्या 04 का 1/8 वां हिस्सा एवं मृतक कालु के वारीसान विपक्षी संख्या 1/1, 1/2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/12 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 03 का 1/12 वां हिस्सा, विपक्षी संख्या 04 का 1/12 वां हिस्सा एवं पैरा "ख खाता संख्या 38 में वर्णित आराजी नम्बर 547 रकबा 0.0126 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0126 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 प्रत्येक का 1/12–1/12 वां हिस्सा, प्रार्थी संख्या 04 का 1/4 वां हिस्सा एवं मृतक कालु के वारीसान विपक्षी संख्या 1/1, 1/2 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है, उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करते आ रहे है, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में खाता शामलाती में दर्ज है, जिसका अभी तक विभाजन किया हुआ नहीं है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का हिस्सा कहाँ पर है, तय किया हुआ नहीं है, किन्तु विपक्षीगण जबरन अपने शक्ति बल अपने मनमकसूद तरीके से निर्माण कर रहे है, मना करने पर लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच कर विवाद कर रहे है एवं विक्रय करने पर आमादा है. इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हक व हिस्से का मीट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जावें, तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का राजस्व रेकॉर्ड में जो हक व हिस्सा दर्ज है, उसी अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व काश्त करते आ रहे है लेकिन रेकॉर्ड में खाता शामलाती होने से लगान जमा कराते समय तथा भूमि को काश्त करते समय मौके पर विवाद व लडाई–झगड़ा होता रहता है इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज अपने हक हिस्से अनुसार माप व सीमांकन के आधार पर खाता अलग कर, लगान अलग तय कर विभाजन किया जायें तब तब अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है।

उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का जो हक व हिस्सा निहित है जिसका मौके व रेकॉर्ड के अनुसार माप व सीमांकन के आधार पर विभाजन किया जाने हेतु प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई बार निवेदन किया किन्तु विपक्षीगण हर समय टालम टोल करते रहे, किन्तु विपक्षीगण विभाजन के लिए तैयार नही हुऐ. विपक्षीगण बिना विभाजन कराये, मौके पर निर्माण करने एवं अन्य व्यक्तियो को अन्तरण करने की धमकी दिनांक 05.05.2025 को धमकी दी, जिससे प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है, अतः प्रार्थीगण/वादीगण की और से विपक्षीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह कि प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षीगण के बिनाय वाद कारण दिनांक 05.05.2025 को विपक्षीगण द्वारा निर्माण करने एवं बिना विभाजन कराये रहन–बय बक्षीस के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को अन्तरित करने की धमकी देने की दिनांक 05.05.2025 से उत्पन्न होकर जारी है।

23/5/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है चूंकि विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का हक व हिस्सा निहित है, उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करती आ रहे है लेकिन विपक्षीगण प्रार्थीया को मौके से बेदखल कर, बिना विभाजन कराये निर्माण कर, अन्य व्यक्तियो को अन्तरण करने पर आमादा है, यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया को मौके से बेदखल कर, बिना विभाजन कराये निर्माण कर, अन्य व्यक्तियों को अन्तरण कर दिया गया तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा, जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाना असम्भव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी, अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है, सुविधा सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी, अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०का०एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 दो के पैरा "क" खाता संख्या 36 में वर्णित आराजी नम्बर 1020/1 रकबा 0.3794 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 01 से लगायत 03 प्रत्येक के 1/24–1/24 वां हिस्सा, वादी संख्या 04 के 1/8 वां हिस्सा एवं पैरा "ख" खाता संख्या 38 में वर्णित आराजी नम्बर 547 रकबा 0.0126 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0126 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 01 से लगायत 03 प्रत्येक के 1/12–1/12 वां हिस्सा, वादी संख्या 04 के 1/4 वां हिस्सा के उपयोग उपभोग व कास्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें, न ही अन्य से करावें, मौके से बेदखल नही करें, न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें, विपक्षी संख्या 05 राजस्व रेकॉर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, विपक्षी संख्या 06 उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नही करें, मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2, 02 लगायत 6 के सम्मन बाद तामील दिनांक 07.07.2025 को प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से दिनांक 07.08.2025 को अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2, 02 लगायत 04 के बाद सूचना असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवालोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित 3 बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है:–

1. प्रथम दृष्टया मामलाः–

2. सुविधा का संतुलनः–

3. अपूरणीय क्षतिः–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण की सहखातेदारी भूमि है, जिसमें विपक्षीगण मौके पर निर्माण कार्य कर रहे है। विपक्षीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य करने से प्रार्थीगण की विशिष्टीकृत हिस्से पर अपना निर्माण कर लिया जाएगा जिसे रोका जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करवाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। विभाजन को असफल किये जाने की मंशा से विपक्षीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य किया जाकर प्रार्थी को मौके से बेदखल किया जाना संभव हैं। यदि विपक्षीगण द्वारा मौके पर निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो प्रार्थी का वाद पेश करने का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अतः विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 को मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि में यदि विशिष्टीकृत भू–भाग का बेचान कर दिया जाता है तो भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद असफल हो जाएगा। अतः विपक्षीगण को वादग्रस्त भूमि में विशिष्टीकृत भू–भाग का बेचान नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। विपक्षी संख्या 6 को मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के अंतरण नहीं करने हेतु पाबंद किया जावे। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षी संख्या 5 भूमिधारी तहसीलदार भीलवाड़ा को पाबंद किया जावे।

25/9/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम समोड़ी की आराजी संख्या 1020/1 रकबा 0.3794 हैक्टयर व आराजी संख्या 547 रकबा 0.0126 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत छायाचित्रों से यह स्पष्ट होता है कि मौके पर विपक्षीगण द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। यदि वादग्रस्त भूमि में मौके पर विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निष्फल हो जाएगा।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रहा है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एवं वादग्रस्त भूमि में से किसी विशिष्टीकृत भू–भाग का बेचान नहीं करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं उपपंजीयक भीलवाड़ा को विशिष्टीकृत भू–भाग का मूल वाद के निस्तारण तक अंतरण हेतु दस्तावेज पेश होने पर पंजीकृत नहीं करने हेतु पाबंद किया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा वादग्रस्त भूमि में किसी भी पक्षकार की मृत्यु होने पर उसकी स्वीय विधि से विरासतीय नामान्तरण दर्ज करने पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

25/7/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा